207

दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2013 पुनरीक्षण — R-1330-II/13

सेवक पुत्र छिदमिया अहिरवार
निवासी ग्राम झीझन, तेहसील नौगांव,
जिला छतरपुर (म.प्र.) ---- आवेदक

बनाम

झल्लू पुत्र पूरन ब्राह्मण
निवासी ग्राम झीझन, तेहसील नौगांव,
जिला छतरपुर (म.प्र.) ---- अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 12.02.2013 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नौगांव, जिला छतरपुर, प्रकरण क्रमांक 68/अपील/2011–12 व उनवान सेवक बनाम झल्लू एवं तेहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 13/1373/2010–2011 आदेश दिनांक 31.01.2012

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

(A) यह कि, आवेदक ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, छतरपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र नक्शा तरमीम हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सर्वे क्रमांक 1220/1 व 1220/2 किता 2 रकवा क्रमशः 0.810 है0 एवं 0.304 है0 भूमि का नवीन नम्बर सर्वे क्रमांक 1242 रकवा 1.14 है0 निर्मित हुआ है जिसे आवेदक ने बन्दोबस्त के पूर्व अनावेदक से विधिवत् रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 15.06.1983 एवं 23.02.1984 को क्रय किया है, जिस पर आवेदक ने भूमि विकास बैंक से लोन लेकर कूप का निर्माण कराया है। बन्दोबस्त में नक्शे में गलत तरमीम हो गयी है उसे सुधारा जावे। (सुधार कराया जावे)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1330-दो/2013 जिला छतरपुर सेवक विरूद्ध झल्लू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 68/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक ~~31-01-2012~~ 12/02/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	